संख्या –सा–3–जी०आई० 21/दस–901/94

प्रेषक,

श्री नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक : 22 अक्टूबर, 1996

**विषय :**–राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को अन्तरिम राहत की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1-4-1996 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10 प्रतिशत की दर से किन्तु प्रत्येक माह 100 रुपये से कम नहीं, एक और अन्तरिम राहत की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है। उक्त स्वीकृत की गई राहत पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए अनुशासित किये जाने वाले पेंशन भोगी प्रसुविधाओं में समायोजित होगी।

2— यदि पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी, भारत या विदेश में किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार या उसके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक में पुर्नयोजित/नियोजित है, जिसमें ऐसे निगम कम्पनी/निकाय/बैंक में स्थायी आमेलन भी शामिल है, तो वह ऐसे पुनर्योजन/नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अन्तरिम राहत लेने का हकदार नहीं होगा।

3—अन्तरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाय। इस घटक पर कोई महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अन्तरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को रुपये में बदल दिया जाए।

4—एक से अधिक पेंशन ले रहे व्यक्तियों के मामले में, अन्तरिम राहत की गणना सभी पेंशनों को जोड़कर की जाएगी।

5—पेंशन/परिवार पेंशन पर उपरोक्तानुसार अन्तरिम सहायता पर चालू वित्तीय वर्ष में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत निम्नानुसार लेखा शीर्षकों के नामे डाला जायेगा :–

| पेंशनर की श्रेणी | लेखा शीर्षक |
|---|---|
| 1— राजकीय पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर | 2071— पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ<br>01— सिविल – आयोजनेतर–<br>101— अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते<br>32— अन्तरिम सहायता |
| 2— सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर। | 2071— पेंशन तथा अन्य सेवा– निवृत्ति हित लाभ<br>01— सिविल–आयोजनेतर–<br>109— राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन–<br>01— सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा निवृत्तिक सुविधायें–<br>32— अन्तरिम सहायता |

| पेंशनर की श्रेणी | लेखा शीर्षक |
|---|---|
| 3— सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर | 2071— पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ–<br>01— सिविल–आयोजनेतर–<br>109— राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन–<br>02— सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा निवृत्तिक सुविधायें –<br>32— अन्तरिम सहायता– |
| 4— राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर | 2071— पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–<br>01— सिविल–आयोजनेतर–<br>109— राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन–<br>03— राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन–<br>32— अन्तरिम सहायता– |

मानक मद "32— अन्तरिम सहायता" के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथास्थिति पुनर्विनियोग अथवा पुनर्वितरण के माध्यम से कर ली जाएगी।

6— यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उ० प्र० लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

7— यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर पेंशनरों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

भवदीय,

**नृपेन्द्र मिश्र,**

प्रमुख सचिव।

संख्या –सा–3–जी०आई–2101/दस–001/04, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—राज्यपाल सचिवालय।
4—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
6—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7—समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र० शासन।
8—निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9—मुख्य लेखाधिकारी पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, बिक्रीकर, वन, खाद्य तथा रसद, उद्योग, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुपालन, शिक्षा विभाग, इरला चेक, उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय विभाग।
10—पेंशनर संघों को निर्धारित सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या –सा–3–जी०आई–21(II)/दस–901/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित प्रत्येक को 50 अतिरिक्त प्रतियो सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— मैनेजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं-12, बम्बई –– 40002

2— जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 14 इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता–II

3— जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय ब्रांच, एक्शपेंशन प्रोग्राम पोस्ट बाक्स नं० 6056–3, फजल रोड आफ कफूपरेड कोलाबा, बम्बई—II

4— जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई 40002

5— जनरल मैनेजर, पंजाब बैंक, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली (100 प्रतियाँ) ।

6— जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग 29, बैंक व रिक्लमेशन, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई –400020

7— जनरल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, हरिमन प्वाइन्ट, पोस्ट बाक्स नं० –234, बम्बई—400021 (एक प्रति) ।

8— रीजनल मैनेजर इण्डिया ओवरसीज बैंक, प्रधान कार्यालय, 151 माउन्ट रोड मद्रास 21

9— जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 ब्रबोरने रोड, कलकत्ता—1

10— जनरल मैनेजर, केनारा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जयचम राजेन्द्र रोड, पोस्ट बाक्स नं०—0648, बंगलौर–2

11— जनरल मैनेजर, सिन्डीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं०–1, मनीपाल (एक०क०), कर्नाटक स्टेट ।

12— जनरल मैनेजर, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देवकरन बनर्जी बिल्डिंग्स, पोस्ट बाक्स नं०–41 फोर्ट, बम्बई–40000

13— जनरल मैनेजर, इण्डियन बैंक, प्रधान कार्यालय, इण्डियन बैंक बिल्डिंग्स, पोस्ट बाक्स नं० –1384, 17 नार्थ बी रोड, मद्रास ।

14— जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 1177, बुद्धवार पीठ, पोस्ट बाक्स नं०–514, पूना—2

15— मैनेजर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, 28 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली –110001

16— मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर-30225 (500 प्रतियाँ) ।

17—चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, मुख्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं०—34, त्रिवेन्द्रम—69500

आज्ञा से,

**शिव प्रकाश,**
संयुक्त सचिव ।

संख्या –सा–3–जी०आई–21(III)/दस–901/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

| | प्रतियां |
|---|---|
| 1—भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय हलबासिया–कोर्ट, लखनऊ । | 3000 |
| 2—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एल०आई०सी० इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ । | 1350 |
| 3—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ । | 500 |
| 4—जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ । | 400 |
| 5—जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, लखनऊ । | 50 |

6—रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ (70), फूलबाग क्रासिंग, मात रोड, कानपुर (70), 35 आवास विकास कालोनी, बेतिया हाता, गोरखपुर (45), विभव नगर, समसाबाद रोड, आगरा (40), 18 न्यूरोड देहरादून (75), मेरठ "ए" एवं मेरठ "बी" इस्टर्न कचहरी रोड (60—70 प्रतियाँ)। 450

7—रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, एच 1/117/240, पांडुनगर, कानपुर (60), कृष्णा विलास, महुआ मार्ग, गाजीपुर, टी०डी० कालेज के सामने जौनपुर (60), रथयात्रा क्रासिंग वाराणसी (60), गोयल भवन, पांडे बाजार, आजमगढ़ 1940 यू०पी०आर०एस०टी०के० सामने मेरठ (60)। 140

8—रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, 4-बी, हबीबुल्ला स्टेट हजरतगंज, लखनऊ। 108

9—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग थर्ड फ्लोर, 2 राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, पटेल नगर, नई दिल्ली। 30

10—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ। 110

11—डिवीजनल मैनेजर कैनारा बैंक, 71 नेहरू नगर, एम०जी० रोड, आगरा—2 50

12—डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक, 6 भगवान दास मार्ग, सरोजनी भवन, नई दिल्ली। 125

13—रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ज्योडोर हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। 35

14—जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 1—ई, झंडे वाला प्रसार माज के पास, नई दिल्ली—110055 35

15—असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/44 डब्लू ई०ए० आजमखान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली। 50

16—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँगीराबाद, मेंसन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ—22600 50

17—डिवीजनल मैनेजर, कैनारा बैंक, प्रतिभा थियेटर के पास, लखनऊ 50

आज्ञा से,

**शिव प्रकाश,**
संयुक्त सचिव।

यू०पी०-ए०पी०-80 सा० वित्त-25-10-96-(1047)-35,000- (कम्प्यूटर/आफसेट)।